


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने कॉलम सं. 3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या -04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. 01	नाम कार्मिक (सर्वश्री/श्रीमती/ सुश्री) व पद स्थान स्थान राउमावि 02	अवधि 03	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है। 04
01	इन्दु चौधरी, व्याख्याता इतिहास, नागौरी गेट जोधपुर	जुलाई-2017 से सितम्बर-2017 तक	राउमावि कालीबेरी जोधपुर में व्या० प्राणिज्य के पद विरुद्ध
02	नीलम चतुर्वेदी, व्याख्याता इतिहास, रुद्ध इकरन भरतपुर	मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक	राउमावि रुद्ध इकरन भरतपुर में व्या० इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जाये।

  
सयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक:- 29/11/17

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/17  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा-जोधपुर/भरतपुर
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- जोधपुर-1/भरतपुर-1
- 3 सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि
- 4 निजी/रक्षित पत्रावली
- 5 कम्प्यूटर एनालिस्ट कार्यालय हाजा


  
सयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम	नाम कार्मिक व पदस्थान स्थान राउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	02	03	04
01	सन्तोष कुमारी, व्याख्याता इतिहास, प्रेमपुरा-पीलीबंगा-हनुमानगढ	29.06.17 से 30.06.17 तक	राबाउमावि हनुमानगढ संगम में व्या0 भौतिक के पद विरुद्ध से

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक:- 29/11/17

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/17

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-चूरु
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- हनुमानगढ
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर